यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल) के माह 04/2018 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सलीम खान, सहा. पर्यवेक्षक एवं गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री जी. के. बत्रा, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 12.03.2021 से 23.03.2021 तक श्री डी. पी. सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोविन्द कुमार सिंह एवं श्री अंशुमन अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.03.2019 से 14.03.2019 तक श्री हिमांशु मणि, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2020 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** कार्बेट टाइगर रिजर्व के अधिसूचित क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण के कार्य।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	666.18
2018-19	50.81
2019-20	930.34

(ii) (ब) बजट का विवरण विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैरस्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		**स्थापना**
2017-18	-	-	411.15	411.15	502.82	502.82	-	-
2018-19	-	-	583.52	583.52	729.20	729.20	-	-
2019-20	-	-	456.00	456.00	885.41	885.41	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. आ.	प्राप्त	व्यय	बचत (%)
2018-19	प्रोजेक्ट ऐलीफेंट	-	12,50,000	12,50,000	-
	प्रोजेक्ट टाइगर		5,78,03,000	5,78,03,000	-
2019-20	प्रोजेक्ट ऐलीफेंट	-	68,80,000	68,80,000	-
	प्रोजेक्ट टाइगर		6,68,47,000	6,68,47,000	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा **कार्यालय निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 05/2018 एवं 02/2020 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2019 एवं 03/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: .....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 01 : वित्तीय अनुदान की शर्तों का समुचित पालन न करते हुए ` 10.00 करोड़ का अनुदान दिया जाना।

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 : कैंटरों को भुगतान की गई राशि पर ₹14.33 लाख जीएसटी जमा न किया जाना।

प्रस्तर- 02 : लैंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 24.64 लाख।

प्रस्तर- 03 : कार्यालय की उदासीनता के कारण 89 कार्मिको को अधिकतम 62 माह विलम्ब से अंशदान की कटौती होने के कारण रु 11.89 लाख के नियोक्ता अंशदान की राशि से वंचित रहना।

व्यय की लेखा-परीक्षा
(अति गम्भीर अनियमितताएं)
भाग-II (अ)

" शून्य "

गम्भीर अनियमितताएं
भाग-II (ब)

भाग-2 अ

प्रस्तर- 01 : वित्तीय अनुदान की शर्तों का समुचित पालन न करते हुए ` 10.00 करोड़ का अनुदान दिया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 (लेखा नियम) के भाग-1 के अध्याय XVI-A में सहायक अनुदान (grants-in-aid) पर लागू होने वाले सामान्य नियमों का उल्लेख किया गया है जिसके नियम संख्या 369-C के अनुसार समस्त सहायक अनुदान सीएजी के लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

कार्यालय की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 534/X-2-2020-12(68)2019 दिनांक 26 फरवरी 2020 द्वारा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर सी टी आर (एक स्वायत्त निकाय) को ₹ 10.00 करोड़ का सहायक अनुदान दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन द्वारा अनुदान की शर्तों में सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा करवाए जाने के बिन्दु को सम्मिलित न करते हुए बिन्दु संख्या 6 में यह निर्दिष्ट कर दिया गया कि टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के अंतर्गत किए गए कार्यों का ख्याति प्राप्त संस्था के माध्यम से अंकेक्षण कराया जाएगा। इस कारण से राज्य की संचित निधि से दिए गए ` 10.00 करोड़ के अनुदान को शासन द्वारा न केवल सीएजी की लेखापरीक्षा से वंचित कर दिया गया बल्कि इससे शासन द्वारा अधिसूचित नियमों का उल्लंघन भी हुआ।

इस विषय में इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया कि फाउंडेशन की नियमावली एवं सहायक अनुदान की शर्तों के अनुसार फाउंडेशन के आय-व्यय की लेखापरीक्षा ख्याति-प्राप्त संस्था (CA) के माध्यम से करवाई जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त वर्णित नियम 369-C के तहत समस्त सहायक अनुदान सी.ए. की लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर- 01 : कैंटरों को भुगतान की गई राशि पर ₹ 14.33 लाख जीएसटी जमा न किया जाना।

पूरे देश में जीएसटी दिनांक 01/07/2017 से लागू हो गया था। जीएसटी के प्रावधानों के तहत परिवहन यानों की भाटक सेवा- परिवहन वाहनों को चाहे चालक समेत अथवा बिना चालक के किराए पर देने की सेवा- पर नियमानुसार 18% GST अतिरिक्त वसूल करके सर्विस कोड 9966 के तहत GST हैड में जमा किया जाएगा।

कार्यालय की वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की लेखापरीक्षा में कैंटरों[1]/गाइड की टेंडर पत्रावली की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा उपरोक्त वर्षों के दौरान पर्यटकों से कैंटर सेवाओं हेतु केवल 5 प्रतिशत जीएसटी ही वसूल कर जमा किया गया। अतः, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कैंटर मालिकों को किए गए भुगतान ₹ 1.10 करोड़ पर अंतरीय दर 13 प्रतिशत (18-5) के आधार पर ₹ 14.33 लाख जीएसटी नहीं जमा किया गया था जिस कारण से सरकार को उक्त राजस्व की क्षति हुई। आगे लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2020-21 में पर्यटकों से 18 प्रतिशत जीएसटी प्राप्त कर भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया था।

इस विषय में इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया कि रोड ट्रांसपोर्ट पर जीएसटी एक्ट के तहत 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी निर्धारित है जिसके साथ शर्त यह है कि आईटीसी नहीं लिया जाएगा। तथापि, पर्यटन वर्ष 2020-21 में कैंटर स्वामियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए 18 प्रतिशत जीएसटी की अतिरिक्त मांग के साथ बिल प्रस्तुत किए गए अतः पर्यटकों से 5 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत जीएसटी लेना प्रारम्भ किया जा चुका है तथा कैंटर मालिकों को भुगतान की गई जीएसटी धनराशि को आईटीसी के माध्यम से लेना प्रारम्भ कर दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी जमा किया जाना चाहिए था एवं उक्त हेतु सेवा प्रदाताओं द्वारा जीएसटी की मांग किए जाने हेतु कोई बाध्यता नहीं थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] कैंटर 18 सीट की एक खुली बस होती है जिसका प्रयोग विभाग द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टुरिस्ट को **day visit** करवाने के लिए किया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर- 02 : लैंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹ 24.64 लाख।

विभाग मे प्रचलित पद्धति के अनुसार किसी भी लैंटाना प्रभावित क्षेत्र से लैंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिये उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योकि प्रथम वर्ष लैंटाना उन्मूलन के पश्चात भूमि मे उपलब्ध लैंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के सम्पर्क में रहकर पुन: पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं | जिनके उन्मूलन के पश्चात लैंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है इसी कारण से विभाग द्वारा लैंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग-अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता हैं|

कार्यालय निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, उत्तराखण्ड के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान प्रभाग में लैंटाना से प्रभावित क्षेत्र के प्रथम वर्ष उपचार तथा उन्मूलन हेतु 245 हेक्टेयर का चयन किया गया तथा ₹ 22.93 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2018-19 में उक्त उपचारित क्षेत्र में से द्वितीय वर्ष उपचार हैतु 31.35 है का चयन किया गया तथा ₹ 1.71 लाख का व्यय किया गया। इन क्षेत्रों में अवशेष द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के उपचार हेतु कोई व्यय किया हुआ नहीं पाया गया | जिससे स्पष्ट है कि प्रथम/द्वितीय वर्ष उपचार पर किये गये व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लैंटाना पुन: उगकर क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित कर सकता है| अतः प्रभाग द्वारा लैंटाना उन्मूलन के कार्य को द्वितीय/तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के परिणामस्वरुप रू 24.64 लाख का व्यय निष्फल रहा|

इस विषय में इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया गया कि बजट की उपलब्धता एवं स्वीकृति के अनुसार प्रभावित क्षेत्र का उपचार किया जाता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर- 03 : कार्यालय की उदासीनता के कारण 89 कार्मिको को अधिकतम 62 माह विलम्ब से अंशदान की कटौती होने के कारण ₹ 11.89 लाख के नियोक्ता अंशदान की राशि से वंचित रहना।

उत्तराखंड सरकार के आदेश सितम्बर 2005 के द्वारा जिन अधिकारी / कर्मचारियों की नियुक्ति सितम्बर 2005 के बाद हुयी है, उनके वेतन से वेतन + ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत की दर से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि के अगले माह से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये। योजना के प्रावधान के अनुसार काटी गई अंशदान के बराबर धनराशि नियोक्ता द्वारा अंशदान के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय- निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखो की नमूना जाँच करने पर यह देखा गया कि 89 कार्मिको को वेतन से अंशदान की कटौती नियुक्ति तिथि से 01 माह से 62 माह विलम्ब से होने के कारण कार्मिको को धनराशि ₹11.89 लाख का मिलने वाला नियोक्ता अंशदान के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के सम्बंध मे पूछे जाने पर कार्यालय ने अपने उत्तर मे बताया कि PRAN नम्बर देरी से आवंटित होने के कारण NPS कटौती विलम्ब से की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि PRAN जारी न होने तक कार्यालय द्वारा द्वारा कार्मिको की अंशदान की धनराशि को सस्पेन्स हैड मे रखना जाना चाहिये था। PRAN नम्बर प्राप्त होते ही धनराशि को कार्मिको के खाते मे ट्रांसफर कर देना चाहिये था जिससे कि नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला अंशदान प्राप्त हो सके।

अत: कार्यालय की उदासीनता के कारण 89 कार्मिको को 01माह से 62 माह विलम्ब से अंशदान कि कटौती होने के कारण ₹11.89 लाख के नियोक्ता द्वारा मिलने वाला अंशदान की राशि से वंचित रहना पड़ा।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी यदि कोई हो	STAN
163/2015-16	-	01 (व्यय) 01(राजस्व)	-	-
168/2017-18	-	01,02,03,04,05 (व्यय), 06 (राजस्व)	-	-
161/2018-19	01 (व्यय)	01 (व्यय), 02 (राजस्व)	-	

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखा परीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्यूक्ति
-	-	-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री राहुल	निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांये।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV